

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 2929

रीवा, दिनांक 16/06/25

—: निविदा प्रपत्र :—

जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा के कलेक्ट्रेट के समीप स्थित पुराने परिसर से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित नवीन परिसर में सामान शिफ्ट करने हेतु निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण तिथियां

1.	निविदा प्रारंभ करने की तिथि	17 जून, 2025 प्रातः 10:00 AM
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	01 जुलाई, 2025 दोपहर 02:00 PM
3.	निविदा खोले जाने की तिथि	01 जुलाई, 2025 सायं 05:00 PM

निविदा जमा करने एवं खोले जाने का स्थान —

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदाकर्ता का नाम एवं पता:

(फोन नंबर एवं ई-मेल के साथ उल्लेख करें)

.....
.....
.....

नोट — इस निविदा प्रपत्र में 22 पृष्ठ हैं। निविदाकर्ता द्वारा इस निविदा दस्तावेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा परिवर्धन अनुज्ञेय नहीं है।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म.प्र.)

Seal and Signature of Bidder

Page 1 of 22

विषय सूची

जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा के कलेक्ट्रेट के समीप स्थित पुराने परिसर से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित नवीन परिसर में सामान शिफ्ट करने हेतु निविदा प्रपत्र

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
1.	निविदा आमंत्रण सूचना	03-04
2.	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश	05-14
3.	संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें	15-19
4.	तकनीकी बिड फार्म	20
5.	वित्तीय बिड फार्म	21-22

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 2929

रीवा, दिनांक 16/06/25

अध्याय - 1

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा द्वारा "जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा के कलेक्ट्रेट के समीप स्थित पुराने परिसर से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित नवीन परिसर में सामान शिफ्ट करने हेतु" टू बिड प्रणाली के अनुसार अनुभवी पैकर्स एवं मूवर्स सेवा-प्रदाताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की प्रतिभूति EMD (₹ में)	निविदा दस्तावेज का मूल्य Application Fee (₹ में)	निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि व समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोले जाने की तिथि व समय
10,000 / -	500 / -	17 जून, 2025 प्रातः 10:00 AM	01 जुलाई, 2025 दोपहर 02:00 PM	01 जुलाई, 2025 सायं 05:00 PM

- निविदा दस्तावेज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.mphc.gov.in> पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदाकर्ता ऊपर उल्लिखित तिथियों एवं समय के भीतर अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इस निविदा के संबंध में आगामी सभी संशोधन/अधिसूचनायें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.mphc.gov.in> पर ही उपलब्ध कराई जायेंगी। निविदाकर्ताओं से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा की अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन इस निविदा दस्तावेज में समाहित हैं। यदि किसी कारण से निविदा जमा करने अथवा खोले जाने की तिथि

पर अवकाश घोषित किया जाता है तो आगामी कार्य दिवस पर निविदायें जमा की अथवा खोली जा सकेंगी।

- (iv) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के पास किसी भी निविदा को बगैर किसी कारण के एवं बगैर कोई सूचना दिये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

पत्राचार का पता : कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)

अध्याय – 2

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश

- 2.1 परिभाषा :** इस निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित शब्दों एवं युग्मों का उनके सम्मुख दर्शाया गया अर्थ निकाला जायेगा :
- (1) **“क्रेता”** से अभिप्रेत है प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा अथवा उनके प्रतिनिधि।
 - (2) **“निविदाकर्ता”** से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अथवा फर्म अथवा Joint Venture जो इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेता है अथवा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
 - (3) **“सफल निविदाकार”** का अर्थ है वह निविदाकार जो इस निविदा के संपूर्ण मूल्यांकन के उपरान्त कार्य आदेश प्राप्त करता है। सफल निविदाकार को इस दस्तावेज में **“सेवा-प्रदाता”** से भी संबोधित किया जायेगा।
 - (4) **“कार्यादेश”** का अर्थ है क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पत्र जिसके द्वारा इस संविदा द्वारा अपेक्षित कार्य एवं सेवा प्रदाय करने के लिए सफल निविदाकार को दी जाने वाली सूचना। संविदा प्रदाय करने का समय कार्य आदेश में उल्लेखित तिथि से प्रारंभ होगा।
 - (5) **“संविदा”** का तात्पर्य है क्रेता एवं सफल निविदाकार के मध्य निष्पादन अनुबंध पत्र एवं उसके साथ संलग्न समस्त अनुलग्न एवं अनुसूचियां। संविदा में निष्पादित अनुबंध पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज सम्मिलित माने जायेंगे।
 - (6) **“संविदाकार”** से अभिप्रेत है व्यक्ति, फर्म अथवा कोई अन्य संस्था जो इस निविदा के अधीन सेवायें प्रदान करती है।
 - (7) **“निविदा आमंत्रण सूचना”** से अभिप्रेत है इस निविदा दस्तावेज के अध्याय – 1 में वर्णित निविदा आमंत्रण सूचना।

- (8) “सेवाएं” का अर्थ है जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा के कलेक्ट्रेट के समीप स्थित पुराने परिसर से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित नवीन परिसर में सामान शिफ्ट करने का कार्य एवं इसमें सेवा के अनुषांगिक कार्य भी सम्मिलित होंगे।

2.2 निविदा दस्तावेज

- 2.2.1 निविदा करने की प्रक्रिया एवं रीति, प्रदाय की जाने वाली सेवाओं का विवरण तथा निविदा की समस्त शर्तें एवं निबंधन इस निविदा दस्तावेज में विस्तारपूर्वक उल्लिखित हैं।
- 2.2.2 निविदाकर्ता से अपेक्षित है कि इस निविदा दस्तावेज के समस्त निर्देशित शर्तों, निबंधनों, विशिष्टियों एवं विनिर्देशनों को भली-भांति पढ़ें। इस निविदा दस्तावेज में अपेक्षित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/बिड बिना किसी अग्रिम विचार के नामंजूर कर दी जायेगी।
- 2.2.3 इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप में मांगी गई समस्त जानकारी प्रारूप के सुसंगत कॉलम में स्पष्टतया उल्लिखित करनी होगी तथा कोई शर्त लागू न होती हो तो निविदाकर्ता को वहां “Nil” उल्लिखित करना होगा। निविदाकर्ताओं को सचेत किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप में कोई भी परिवर्तन करने अथवा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया जायेगा।
- 2.2.4 फैंक्स, टेलीग्राम अथवा ई-मेल से प्राप्त निविदा एवं विलंब से प्राप्त होने वाली निविदाओं को विचार में नहीं लिया जायेगा।
- 2.2.5 प्रस्तावित निविदायें कम्प्यूटर पर साफ-सुथरी अंकित अथवा गुणवत्तापूर्ण कागज पर प्रिंट लेकर जमा की जानी चाहिये। यदि प्रिंटआउट में लगाकर जानकारी भरी जाती है तो लिखावट स्वच्छ, साफ एवं पठनीय होनी चाहिये। निविदाकर्ताओं को इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

2.2.6 निविदाकर्ताओं को Over Writing से बचना चाहिये। यदि कोई सुधार करना भी हो तो गलत लिखे शब्द/अंक को मात्र एक लाईन से काटकर उसके ऊपर सुस्पष्ट शब्द/अंक लिखकर निविदाकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर करने एवं तिथि अंकित करनी होगी। यदि निविदाकर्ता कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ना चाहते हैं तो उसे अंतिम पृष्ठ के पश्चात् सरल क्रमांक उल्लिखित करते हुए जोड़ सकते हैं।

2.3 निविदा का व्यय –

निविदाकर्ता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक समस्त व्यय जैसे निविदा तैयार किया जाना, आवेदन शुल्क, निविदा की प्रतिभूति एवं अन्य आनुषांगिक खर्च स्वयं व्यय करने होंगे और निविदा के परिणाम से प्रभावित हुए बिना क्रेता किसी भी व्यय के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

2.4 आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति (Application Fee and Earnest Money Deposit) –

2.4.1 यह प्रस्ताव ₹ 500/– के आवेदन शुल्क (Application Fee) एवं ₹ 10,000/– के निविदा की प्रतिभूति (EMD) के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क ट्रेजरी चालान द्वारा शासकीय हेड 0070-01-800-0000 में जमा कर चालान की रसीद प्रस्तुत करनी होगी एवं निविदा की प्रतिभूति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के नाम रीवा में देय डिमान्ड डाफ्ट, पे-आर्डर, मियाद जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी से अदा किये जा सकेंगे। आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति के बिना प्रस्तुत समस्त निविदाएं नामंजूर कर दी जाएंगी। किसी भी स्थिति में निविदा की प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.4.2 सफल निविदाकार की निविदा की प्रतिभूति उसके द्वारा अनुबंध निष्पादन करने के उपरान्त **“निष्पादन प्रतिभूति” (Performance Guarantee)** प्रस्तुत कर दिये जाने पर वापस की जाएगी।

2.4.3 निविदा की प्रतिभूति निम्नलिखित परिस्थितियों में समपहृत कर ली जायेगी—

- (i) यदि निविदाकार निविदा की अवधि के भीतर अपनी निविदा वापस लेता है;
- (ii) यदि निविदाकार क्रेता द्वारा प्रस्तावित लिपिकीय त्रुटि को अपने प्रस्ताव में स्वीकार करने से इंकार करता है;
- (iii) यदि सफल निविदाकार विहित समयावधि में निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल रहता है;
- (iv) यदि सफल निविदाकार कार्यादेश जारी होने की विहित समयावधि में अनुबंध पत्र निष्पादित करने में असफल रहता है।

2.4.4 असफल निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा की प्रतिभूति निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने एवं कार्यादेश जारी होने पर वापस कर दी जायेगी।

2.5 सेवा का मूल्य —

निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित फार्म में प्रत्येक सेवा के लिए पृथक से मूल्य दर्शित करना होगा जिसमें समस्त कर, खर्च एवं अनुषांगिक व्यय सम्मिलित होंगे।

2.6 प्रस्ताव की वैधता —

इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 180 दिन के लिए प्रभावशील रहेगा।

2.7 एक पक्षकार द्वारा मात्र एक प्रस्ताव —

प्रत्येक निविदाकर्ता को मात्र एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में

अथवा संयुक्त उपक्रम के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रस्ताव नामंजूर कर दिये जायेंगे और इस संबंध में उससे कोई आगामी पत्राचार नहीं किया जायेगा।

2.8 प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना –

2.8.1 इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रस्ताव/बिड मात्र भौतिक प्रति (Hard Copy) में ही प्रस्तुत किये जायेंगे। भौतिक प्रति से अभिप्रेत है दो कवर के बीच सिलाई अथवा अन्य प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार से दस्तावेजों को संलग्न किया जाना जिससे प्रत्येक पृष्ठ विशिष्ट पृष्ठ संख्या से चिह्नित हो और जिसमें किसी भी प्रकार से नये पृष्ठ जोड़े जाने अथवा हटाये जाने की संभावना न हो।

2.8.2 उपरोक्त रीति द्वारा तैयार न की गई निविदा को बिना कोई कारण बताये नामंजूर कर दिया जायेगा।

2.8.3 प्रस्तावित निविदाकारों को अपनी निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर उस पर उचित सील भी लगानी होगी।

2.8.4 इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव दो-बिड प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे –

(a) **लिफाफा 1** – इस लिफाफे के शीर्षक पर “**लिफाफा 1 आवेदन शुल्क एवं EMD**” उल्लेखित करते हुए लिफाफे के भीतर ₹ 500/- का आवेदन शुल्क (Application Fee) एवं ₹ 10,000/- की निविदा की प्रतिभूति (EMD) रखी जाएगी।

(b) **लिफाफा 2** – वाणिज्यिक शर्तों और निबंधनों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरे वाली तकनीकी बिड जो इस निविदा दस्तावेज के अध्याय – 5 “**वित्तीय बिड**” में प्रस्तावित फॉर्म के

अतिरिक्त समस्त दस्तावेजों/ प्रपत्रों एवं निविदाकर्ता द्वारा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ तैयार की जाएगी। इस लिफाफे के शीर्षक पर लिखा जाना चाहिए **“लिफाफा 2 – तकनीकी बिड”**।

(c) **लिफाफा 3 – वित्तीय बिड** जिसमें तकनीकी बिड में उल्लेखित सेवाओं के लिए सेवा-वार कीमत दर्शाई गई हो। यह बिड इस निविदा दस्तावेज के अध्याय – 5 **“वित्तीय बिड”** में प्रस्तावित फार्म में तैयार की जाएगी। इस लिफाफे के शीर्षक पर लिखा जाना चाहिए **“लिफाफा 3 – वित्तीय बिड”**।

(d) **लिफाफा 4 – उपरोक्त तीनों लिफाफे पुनः एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद किए जाएंगे और इस बड़े लिफाफे के शीर्षक पर लिखा जाना चाहिए – “जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा के कलेक्ट्रेट के समीप स्थित पुराने परिसर से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित नवीन परिसर में सामान शिफ्ट करने हेतु निविदा।”**

2.9 विलंब से प्रस्तुत निविदा –

निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदा बिना किसी विचार के नामंजूर कर दी जायेगी।

2.10 निविदा में परिवर्तन एवं निविदा वापस लिया जाना –

किसी भी निविदाकार को निविदा प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् निविदा में कोई भी परिवर्तन करने अथवा उसे प्रत्याहृत करने का अधिकार नहीं होगा।

2.11 स्थानीय अवस्थायें –

प्रत्येक निविदाकार से अपेक्षा है कि वह जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा के पुराने भवन से नवीन भवन में सामान शिफ्ट करने हेतु वाहनों की आवश्यकता, स्थानीय अवस्था एवं उसे समस्त कारकों को विस्तारपूर्वक समझ लें जो निविदा के निष्पादन एवं मूल्य को प्रभावित करती हैं। निविदा स्वीकार

होने एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन एवं निविदाकार के किसी भी स्पष्टीकरण के निवेदन को क्रेता द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.12 क्रेता से संपर्क –

किसी भी निविदाकार द्वारा क्रेता से निविदा के मूल्य, तुलना अथवा निविदा प्रदान करने हेतु क्रेता को प्रभावित करने वाला संपर्क किये जाने पर ऐसी निविदा को बिना किसी अतिरिक्त विचार के नामंजूर कर दिया जायेगा।

2.13 महत्वपूर्ण तिथियां :-

इस निविदा के लिए निम्नलिखित तिथियां एवं उनके सम्मुख उल्लेखित विवरण महत्वपूर्ण हैं –

निविदा की प्रतिभूति EMD (₹ में)	निविदा दस्तावेज का मूल्य Application Fee (₹ में)	निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि व समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोले जाने की तिथि व समय
10,000 / –	500 / –	17 जून, 2025 प्रातः 10:00 AM	01 जुलाई, 2025 दोपहर 02:00 PM	01 जुलाई, 2025 सायं 05:00 PM

2.14 निविदाओं का खोला जाना :-

2.14.1 इस आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा खोली जायेंगी।

2.14.2 उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बिड (लिफाफा 3) खोले जायेंगे जो तकनीकी बिड में योग्य पाये गये हों।

2.14.3 समस्त निविदायें निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, यदि वे निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित हों, खोली जायेंगी।

2.14.4 निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि यदि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित होना चाहते हैं तो उन्हें निविदाकार द्वारा जारी प्राधिकार

पत्र जो निविदाकार के छपे Letter head पर जारी होने वाले एवं अपना परिचय पत्र लेकर उपस्थित होना होगा।

2.15 निविदा खोले जाने का स्थान :-

निविदा खोले जाने का स्थान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा का कार्यालय होगा। इस हेतु किसी भी निविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि को स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। निविदा बिन्दु क्रमांक 2.13 में उल्लिखित समय पर खोली जायेगी।

2.16 मूल्यांकन :-

2.16.1 क्रेता, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व बिना कोई कारण दर्शित किये और बिना निविदाकार को सूचना दिये किसी भी समय मूल्यांकन के आधार परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.16.2 मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान क्रेता निविदाकार से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

2.16.3 चरण 1 :- आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति

सर्वप्रथम बड़े लिफाफे में से लिफाफा - 1 खोला जायेगा जिसमें आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति प्रस्तुत करनी है। जो आवेदक इस चरण में योग्य पाये जायेंगे, उन्हीं निविदाकारों के प्रस्ताव आगामी चरण में खोले जायेंगे।

चरण 2 :- तकनीकी बिड

इस चरण में लिफाफा - 2 तकनीकी बिड खोली जायेगी। प्रस्तावित निविदाकारों की योग्यताओं एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। इस निविदा दस्तावेज के अध्याय 5 में प्रस्तावित अहर्ताओं को पूर्ण न करने वाले निविदाकारों की निविदा इसी प्रक्रम पर नामंजूर कर दी जायेगी। ऐसे समस्त निविदाकार जो समस्त अहर्ताओं को बिन्दुवार पूरा करते हैं उन्हें आगामी चरण के लिए योग्य पाते हुए विचार में लिया जायेगा। इस

प्रक्रम पर किसी भी निविदाकार द्वारा क्रेता के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

चरण 3 :- वित्तीय बिड

तकनीकी बिड में योग्य पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड इस चरण में खोली जायेगी। वित्तीय बिड का मूल्यांकन सेवा के लिए निर्धारित एकल दर एवं संपूर्ण सेवाओं के लिए निर्धारित "कुल दर" पर आधारित होगा। इसमें जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा के कलेक्ट्रेट के समीप स्थित पुराने परिसर से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित नवीन परिसर में सामान शिफ्ट करने हेतु आवश्यक अनइंस्टालेशन, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, इंस्टालेशन एवं सामान जमाने के लिए समस्त खर्चों जैसे किराया, कर एवं अन्य व्यय आदि सम्मिलित हैं।

2.17 संविदा प्रदान किया जाना :-

2.17.1 क्रेता द्वारा सफल निविदाकार को संविदा किये जाने की सूचना "कार्यादेश" द्वारा दर सूची सहित सूचित किया जायेगा। सेवा-प्रदान करने का समय कार्यादेश की सूचना से प्रारंभ होगा।

2.17.2 क्रेता द्वारा तदोपरान्त निविदाकार को अनुबंध निष्पादित करने हेतु अनुबंध का प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा जिसे यथा-शीघ्र हस्ताक्षरित कर सफल निविदाकार को क्रेता को वापस करना होगा।

2.17.3 अनुबंध के निष्पादन के निमित्त समस्त खर्च जैसे स्टॉप शुल्क, टाईपिंग शुल्क आदि सफल निविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे।

2.18 निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश :-

2.18.1 निविदा प्रपत्र तैयार करने के समस्त खर्च एवं राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के कार्यालय आने-जाने का व्यय निविदाकारों द्वारा ही वहन किया जायेगा।

- 2.18.2 निविदा प्रस्ताव में प्रत्येक त्रुटियों, Overwriting आदि निविदाकारों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर से ही किये जा सकेंगे। किसी भी प्रकार की अंकीय त्रुटि अथवा लिपिकीय त्रुटि होने पर शब्दों में उल्लिखित धनराशि प्रभावी मानी जायेगी।
- 2.18.3 प्रत्येक राशि को निविदा में अंकों के साथ शब्दों में भी उल्लेखित करना होगा।
- 2.18.4 सफल निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका रीवा, मध्यप्रदेश में स्थानीय कार्यालय है जिससे इस निविदा के अधीन प्रस्तावित सेवायें सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई जा सकें।
- 2.19.5 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के पास किसी भी निविदा को बगैर किसी कारण के एवं बगैर कोई सूचना दिये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- 2.19.6 निविदाकार चाहें तो किसी भी कार्यदिवस में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के कार्यालय में आकर प्रस्तावित कार्य की प्रकृति, शिफ्ट की जोन वाली सामग्री की अवस्था आदि देख सकते हैं।

अध्याय – 3

संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें

3.1 निविदा के अधीन आने वाले कार्य

- 3.1.1 अनुबंध के अधीन सफल निविदाकार को जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा के पुराने भवन में संचालित न्यायालयों से समस्त लंबित फाइलें बस्तों में बांधकर दी जाएंगी, जिन्हें टाटा एस अथवा टाटा 407 जैसे माल ढुलाई में उपयोग होने वाले वाहन से पुराने भवन से नवीन न्यायालय भवन में ले जाना होगा। बस्तों की व्यवस्था क्रेता द्वारा की जाएगी।
- 3.1.2 फाइलों के बाद न्यायालयों में स्थापित कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, यू.पी.एस., इन्वर्टर, बैटरी, टी.वी. स्क्रीन, फोटोकॉपी मशीन, एक्सटेंशन कॉर्ड आदि का अनइंस्टालेशन करने के बाद आवश्यकतानुसार सुरक्षित तरीके से पैक कर उसी वाहन से न्यायालय के सामान सहित पुराने भवन से नवीन न्यायालय भवन में ले जाना होगा।
- 3.1.3 प्रत्येक न्यायालय/अनुभाग में स्थापित ए.सी. को भी अनइंस्टाल किया जाएगा और आवश्यकतानुसार सुरक्षित तरीके से पैक कर उसी वाहन से न्यायालय के सामान सहित पुराने भवन से नवीन न्यायालय भवन में ले जाना होगा। जिस अवस्था में ए.सी. निकाला जाएगा उसी अवस्था में इंस्टाल भी करना होगा। किसी भी प्रकार की खराबी होने पर सुधार में होने वाला व्यय सफल निविदाकार को वहन करना होगा।
- 3.1.4 प्रत्येक विशिष्ट न्यायालय की सामग्री पर न्यायालय का नाम मार्कर से लिखना होगा, जिससे सामान उतारने एवं जमाने के समय कोई असुविधा न हो।

3.1.5 प्रत्येक विशिष्ट न्यायालय के लिए एक अथवा दो फेरे, जैसा भी आवश्यक हो, लगाना होगा। परन्तु वाहन पूरा भरा होना चाहिए। वाहन को तिरपाल से अच्छी तरह बांधकर सामग्री शिफ्ट करनी होगी जिससे उचित सुरक्षा में सामग्री पुराने भवन से नवीन न्यायालय भवन में पहुंचाई जा सके।

3.1.6 न्यायालयों की लंबित फाइलों के अतिरिक्त विभिन्न अनुभागों की फाइलें बस्तों में बांधकर दी जाएंगी, जिन्हें टाटा एस अथवा टाटा 407 जैसे माल ढुलाई में उपयोग होने वाले वाहन से पुराने भवन से नवीन न्यायालय भवन में ले जाना होगा।

3.1.7 अनुभाग की फाइलों के साथ अन्य सामग्री जैसे स्थापित कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, यू.पी.एस., इन्वर्टर, बैटरी, टी.वी. स्क्रीन, फोटोकॉपी मशीन, एक्सटेंशन कॉर्ड आदि का अनइंस्टालेशन करने के बाद आवश्यकतानुसार सुरक्षित तरीके से पैक कर उसी वाहन से न्यायालय के सामान सहित पुराने भवन से नवीन न्यायालय भवन में ले जाना होगा।

3.1.9 प्रत्येक विशिष्ट अनुभाग के लिए एक अथवा दो फेरे, जैसा भी आवश्यक हो, लगाना होगा। परन्तु वाहन पूरा भरा होना चाहिए। वाहन को तिरपाल से अच्छी तरह बांधकर सामग्री शिफ्ट करनी होगी जिससे उचित सुरक्षा में सामग्री पुराने भवन से नवीन न्यायालय भवन में पहुंचाई जा सके।

3.1.10 अंत में अन्य सामग्री जैसे मालखाना की संपत्ति, रिकॉर्ड रूम की फाइलें व अन्य सामग्री, नजारत की सामग्री, कम्प्यूटर सेक्शन की सामग्री आदि को सुरक्षित तरीके से पैक कर उसी वाहन से न्यायालय के सामान सहित पुराने भवन से नवीन न्यायालय भवन में ले जाना होगा।

- 3.1.11 सामान भरने के बाद और तिरपाल कसने के पूर्व प्रत्येक फेरे की फोटोग्राफ ली जाएगी जिसमें वाहन क्रमांक दर्शित हो। इसे भुगतान के पूर्व वेरिफाई किया जाएगा। फोटोग्राफर की व्यवस्था एवं व्यय सफल निविदाकार को वहन करना होगा।
- 3.1.12 इस कार्य में नियोजित होने वाले वाहन का मॉडल तीन वर्ष से अधिक पुराना अधिक पुराना नहीं होना चाहिये और उचित साफ-सफाई एवं सुविधापूर्ण होना चाहिए।
- 3.1.13 सफल निविदाकार को वाहन को बिलकुल साफ-सुथरा तथा एकदम सही हालत में रखा जाना होगा।
- 3.1.14 सफल निविदाकार को वाहनों के फेरे की लॉग बुक एवं गेट पास बुक संधारित करनी होगी। प्रत्येक फेरे की प्रविष्टि लॉग बुक में की जाएगी और इसके लिए कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा गेट पास जारी किया जाएगा। उक्त गेट पास पुराने भवन से नवीन भवन पहुंचने पर जमा करना होगा।
- 3.1.15 लॉग बुक एवं गेट पास बुक का व्यय सफल निविदाकार द्वारा वहन करना होगा।
- 3.1.16 यदि कार्य प्रारंभ होने के बाद वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वो बाजार से अन्य वाहन किराये पर ले लेवें। इस स्थिति में क्रेता द्वारा जो लागत वहन की जायेगी वो सफल निविदाकार के देयक से समायोजित की जायेगी।
- 3.1.17 किसी भी दुर्घटना के मामले में उत्पन्न समस्त दावे सफल निविदाकार/वाहन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे।

3.1.18 सफल निविदाकार को प्रत्येक वाहन में एक Portable Fire Extinguisher चालू अवस्था में रखना अनिवार्य होगा।

3.2 देयक एवं उनका भुगतान

3.2.1 सफल निविदाकार कार्य समाप्ति के पश्चात तीन प्रतियों में देयक प्रस्तुत करेगा।

3.2.2 आवश्यक देयक का भुगतान कार्य कार्य सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद सफल निविदाकार द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा द्वारा किया जायेगा।

3.2.3 वाहन भाड़े का भुगतान प्रत्येक फेरे के अनुसार किया जायेगा। देयक को फोटोग्राफ्स, लॉग बुक एवं गेट पास के आधार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के अधिकृत प्रतिनिधि/समिति के द्वारा वेरिफाई किया जाएगा।

3.2.4 अनइंस्टालेशन, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, इंस्टालेशन एवं सामान जमाने के लिए समस्त खर्चों का भुगतान स्वीकृत वित्तीय दर के अनुसार किया जाएगा।

3.2.5 अनुबंध के व्यय में वाहन हेतु ड्राइवर, वाहन की मरम्मत तथा रखरखाव, बीमा, समस्त कर, पेट्रोल या डीजल, ऑईल तथा अन्य आनुशंगिक व्यय शामिल होंगे।

3.3.6 यह भुगतान कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के स्थिति पर निर्भर करता है। भुगतान में विलंब हेतु कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा किसी क्षतिपूर्ति के दायी नहीं होंगे।

3.3 वाहन के वैधानिक दस्तावेज

- 3.3.1 इस अनुबंध के अधीन उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का समस्त वैधानिक दस्तावेज जैसे परमिट, बीमा, फिटनेस आदि होना चाहिए।
- 3.3.2 वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए तथा वाहन को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वाहन संबंधित विभागों से तथा आरटीओ से पंजीकृत होना चाहिये।

3.4 पेनाल्टी

- 3.4.1 इस निविदा दस्तावेज में वर्णित किसी भी शर्त अथवा निबंधन का अनुपालन न होने के स्थिति में ₹ 500/- प्रति दिवस के आधार पर पेनाल्टी लगाई जायेगी।
- 3.4.2 निविदा दस्तावेज में वर्णित नियमों, शर्तों अथवा निबंधनों का बार-बार उल्लंघन करने पर अनुबंध को बिना कोई सूचना दिये समाप्त कर दिया जायेगा और ई.एम.डी. राशि जप्त कर ली जाएगी।

3.5 परफारमेंस गारण्टी

सफल निविदाकार के द्वारा ₹ 50,000/- की राशि निविदा प्राप्ति के समय व अनुबंध निष्पादन के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। यह परफारमेंस गारण्टी डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) अथवा बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

3.6 जी.एस.टी. की दर में परिवर्तन

इस निविदा आमंत्रण के अधीन निष्पादित अनुबंध के प्रभावशील होने के दौरान जी.एस.टी. की दर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का लाभ सफल निविदाकार अथवा क्रेता को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात् जी.एस.टी. की दर में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई दर से जी.एस.टी. की दर में कटौती होने पर घटी हुई दर से क्रेता द्वारा देयक का भुगतान किया जायेगा।

अध्याय – 4

तकनीकी बिड फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रुचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी
द्वारा निम्न जानकारी की पूर्ति की जानी है
(दस्तावेज संलग्न करें)

सरल क्रमांक	शीर्षक	विवरण	दस्तावेज (संलग्न है अथवा नहीं)
1	निविदाकर्ता का नाम तथा पता (फोन नंबर, ई-मेल एवं पंजीयन क्रमांक के साथ उल्लेख करें)		
2	व्यवसाय का प्रकार		
3	जी.एस.टी. (GST) पंजीयन का विवरण		
4	निविदाकर्ता का आयकर पैन (PAN) नं.		

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अध्याय – 5

वित्तीय बिड फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रुचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी
द्वारा निम्न प्रारूप में वित्तीय बिड प्रस्तुत की जानी है

1. वाहन के प्रत्येक फेरे की दर

क्र.	विवरण	प्रति फेरे की दर (प्रति वाहन) (सभी करों, व्ययों, खर्चों सहित)
1	टाटा एस/समतुल्य फुल बॉडी लोडिंग वाहन	
2	टाटा 407/आयशर/समतुल्य लगभग 14 फुट फुल बॉडी लोडिंग वाहन	

2. अनइंस्टालेशन, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, इंस्टालेशन एवं सामान जमाने की दर

क्र.	कार्य का विवरण	दर (सभी करों, व्ययों, खर्चों सहित)
1.	ए.सी. अनइंस्टालेशन एवं इंस्टालेशन (प्रति नग)	
2.	कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, यू.पी.एस., इन्वर्टर, बैटरी, टी.वी. स्क्रीन, फोटोकॉपी मशीन, एक्सटेंशन कॉर्ड आदि का अनइंस्टालेशन एवं इंस्टालेशन (lump sum)	
3.	समस्त सामग्री की पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एवं सामान जमाने की दर (lump sum)	

मैंने निविदा प्रलेख में उल्लेखित सभी शर्तें पढ़ ली हैं और उन्हें पूरी तरह से मान्य करता हूँ।

दिनांक

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी